भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1406

दिनांक 29 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

उत्तराखंड में पशुपालन

1406. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन को स्वरोजगार का साधन बनाने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा हरिद्वार में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में पशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण अभियान को सुदृढ़ किया है; और

(घ) क्या सरकार की राज्य में डेयरी प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी. सिंह बघेल)

(क), (ख) और (घ) जी, हाँ। पशुपालन को स्वरोजगार का साधन बनाने के लिए राज्यों के प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने हेतु पशुपालन और डेयरी विभाग उत्तराखंड के हरिद्वार जिले सहित देश भर में निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM): आरजीएम को देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन तथा बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए निम्नलिखित प्रमुख घटकों के साथ कार्यान्वित किया गया है:

(i) 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान कवरेज वाले जिलों में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में कुल 156922 कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं।

(ii) बोवाइन आबादी के तीव्र आनुवंशिक उन्नयन हेतु आईवीएफ तकनीक और सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(iii) ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मैत्री)। इस घटक के अंतर्गत, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को किसानों के द्वार पर प्रजनन संबंधी जानकारी और पशु चिकित्सा प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। अब तक, उत्तराखंड में कुल 817 मैत्री प्रशिक्षित और सुसज्जित किए जा चुके हैं।

(iv) नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना के घटक के अंतर्गत, उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले पशुओं के उत्पादन हेतु उद्यमियों को 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की गई है। इससे डेयरी किसानों को ऐसे पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उत्तराखंड में नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना के घटक के अंतर्गत 5 फार्म स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से एक हरिद्वार जिले में है।

2. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM): एनएलएम योजना के उद्यमिता घटक, एनएलएम-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM - EDP) के अंतर्गत, पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, ऊँट और गधा प्रजनन फार्मों के साथ-साथ चारा और पशु आहार इकाइयों

की स्थापना के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी, अधिकतम 50 लाख रुपये, प्रदान की जाती है। एनएलएम-ईडीपी के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के उद्यमियों के लिए 30.73 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 70 परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं।

3. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD): NPDD को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया जाता है

(i) एनपीडीडी का घटक "क" राज्य सहकारी डेयरी संघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/स्वयं सहायता समूहों (SHG)/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं हेतु अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत घटक 4 परियोजना को हरिद्वार सहित उत्तराखंड में 7504.26 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ अनुमोदित किया गया है।

(ii) एनपीडीडी योजना के घटक 'ख' "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके और उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना है। इसके तहत घटक 1 परियोजना को उत्तराखंड में 575.84 लाख रुपये के अनुदान के साथ स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) योजना के अंतर्गत नैनीताल में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एक नए आधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र, जिसकी कुल परियोजना लागत 8076.82 लाख रुपये है और नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित आरआईडीएफ योजना के अंतर्गत चंपावत में 806.80 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत वाले एक डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि को भी अनुमोदन दिया गया है।

4. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF): एएचआईडीएफ पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण और विविधीकरण अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान प्रदान करता है, जिससे असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाज़ार तक बेहतर पहुँच प्राप्त होती है। उत्तराखंड राज्य में इस योजना के अंतर्गत 9.60 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 2 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है।

ग. पशुपालन औ डेयरी विभाग पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं का क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत पशु औषधि का एक नया घटक जोड़ा गया है ताकि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से देश भर में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इससे जेनेरिक दवाओं के लिए एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा जो किफ़ायती और उच्च गुणवत्ता वाला होगा। इस योजना के अंतर्गत, उत्तराखंड राज्य में अब तक खुरपका-मुँहपका रोग (FMD) के लिए 1.23 करोड़, ब्रुसेलोसिस के लिए 2.39 लाख, पीपीआर के लिए 0.28 लाख और लम्पी स्किन डिजीज (एलएसडी) के लिए 37 लाख टीकाकरण किए जा चुके हैं। हरिद्वार जिले में अब तक एफएमडी के लिए 16.61 लाख, ब्रुसेलोसिस के लिए 0.23 लाख, पीपीआर के लिए 2010 और एलएसडी के लिए 3.35 लाख टीकाकरण किए जा चुके हैं। राज्य में कुल 60 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ (MVU) कार्यरत हैं, जिनमें हरिद्वार जिले में संचालित 5 एमवीयू शामिल हैं।

*****